



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126168

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारान्तर्गत 482 बीएनएसएस संख्या - 5038

सन् 2026

सुखदेव और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी

आवेदकों के अधिवक्ता : नूर मुहम्मद, योगेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदकगण के अधिवक्ता श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख देखे।
2. यह अग्रिम जमानत अर्जी आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 181/2025 धाराओं 191(2), 191(3), 117(2), 118(1), 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस के तहत थाना-खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद में दर्ज किया गया है। इसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकगण के अधिवक्ता ने कहा कि वे आवेदक संख्या 3 की ओर से इस अर्जी पर आगे नहीं बढ़ना चाहते और उनकी ओर से इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. ऊपर दिए गए बयान को देखते हुए, आवेदक संख्या 3 की ओर से यह अर्जी वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है। आवेदकगण के अधिवक्ता को पक्षकार की सूची से आवेदक संख्या 3 का नाम हटाने की अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदकगण के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदकगण को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी मामले में शामिल सह-आरोपी राजीव और विकास को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पहले ही अग्रिम ज़मानत दे दी है। यह आदेश 03.02.2026 को आपराधिक प्रकीर्णन अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र बीएनएसएस की धारा 482 के तहत संख्या 667/2026 में दिया गया था। इसलिए, समानता के आधार पर मौजूदा आवेदक संख्या 1 और 2 भी अग्रिम ज़मानत पाने के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक संख्या 1 और 2 विवेचना और परीक्षण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होंगे। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक संख्या 1 और 2 को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वे ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए ने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, हालांकि, वे तथ्यों से इनकार नहीं करते हैं।

7. पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि आवेदक संख्या 1 और 2 ने समानता के आधार पर अग्रिम ज़मानत पाने का मामला बनाया है।

8. इसलिए, अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी **स्वीकार** की जाती है।

9. अगर इस मामले में शामिल आवेदक - **सुखदेव और संजय** - गिरफ़्तार किए जाते हैं, तो उन्हें अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें दें, और साथ ही इन शर्तों का पालन करें:

(i) आवेदक संख्या 1 और 2 साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और तय तारीख पर परीक्षण न्यायालय के सामने पेश होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय उन्हें छूट न दे;

(ii) आवेदक संख्या 1 और 2 मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगे ताकि वे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से पीछे हटें;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक संख्या 1 और 2 परीक्षण के दौरान सहयोग करेंगे और ज़मानत की आज़ादी का ग़लत इस्तेमाल नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संख्या 1 और 2 संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक संख्या 1 और 2 को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द करने के लिए उचित अर्ज़ी दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

8 जून, 2026

शुभम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।